



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 196 राँची, बुधवार,

29 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-102/2019-19427 (HRMS)--श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-290/20, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4305, दिनांक 26.11.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-3242, दिनांक 01.09.2019 का अनुपालन नहीं करने तथा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र-‘क’ को विभाग स्तर पर पुनर्गठित किया गया है, जिसमें सुश्री कुजूर के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप- ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-3242, दिनांक 01.09.2019 द्वारा सुश्री ऐनी रिन्कु कुजूर (सेवा प्राप्त) को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा के पद पद पदस्थापित किया गया। उपायुक्त, रामगढ़ के आदेश ज्ञापांक-449, दिनांक 31.10.2019 द्वारा सुश्री कुजूर को दिनांक 31.10.2019 को नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया गया। उक्त के आलोक में सुश्री कुजूर द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ का प्रभार दिनांक 05.11.2019 के अपराहन स्वतः त्याग किया गया। इनके द्वारा अधिसूचित प्रखण्ड में योगदान समर्पित न कर दिनांक 08.11.2019 को विभाग को समर्पित आवेदन में दिनांक 06.11.2019 से दिनांक 15.11.2019 तक चिकित्सीय/उपार्जित अवकाश हेतु अनुरोध किया गया है। सुश्री कुजूर अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। यह उनकी अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

उक्त आरोपों पर श्रीमती कुजूर के पत्रांक-03, दिनांक 04.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा इनके स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1840, दिनांक 17.05.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। श्रीमती कुजूर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य का विभाग स्तर से जाँच एवं समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4431, दिनांक 21.07.2022 द्वारा निन्दन के दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्रीमती कुजूर से द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। उनके पत्रांक-493, दिनांक 10.09.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

श्रीमती कुजूर द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती कुजूर के विरुद्ध गठित आरोप में वित्तीय अनियमितता से संबंधी कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं है एवं बाद में ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-2518, दिनांक-31.07.2020 द्वारा श्रीमती कुजूर के प्रखंड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा के पद पर पदस्थापन संबंधी उक्त अधिसूचना सं०-3242, दिनांक-01.09.2019 को विलोपित करते हुए इन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ सदर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया।

अतः समीक्षोपरांत, स्वास्थ्य संबंधी कारणों एवं संलग्न चिकित्सीय पुर्जा पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-290/20, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा संप्रति-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANNE RENKU KUJUR 110021165672	श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-290/20, गृह जिला- गुमला), तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा संप्रति-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती ऐनी रिन्कु कुजूर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
